हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | जारी शामिल कार नम्बर / दिनांक

व अनकमाड खातेदारी कृषि भूमि पर वादीगण के अधिकार अधिपत्य कब्जा काश्त एवं उनके उपयोग उपभोग व उक्त विवादित भूमि के किसी भी भू-भाग मे किसी प्रकार की बेजा मदाखलत पैदा करने व करवाने से बाज या ममनू रहे। राजस्व रिकार्ड से रिपोर्ट प्राप्त की जिसमे यह दर्शाया है कि पक 3DSM तह अनूपगढ़ का मुरब्बा 89 खसरा 84/10 के रकबा 6.325 हैक्टर कमाण्ड / अनकमाण्ड रकबा राजेन्द्र राजेन्द्र पुत्र पानणराम जाति कुम्हार सा॰ गोदूवाला तह पीलीबंगा के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त रकबा पूर्व में छोटूराम पुत्र रामधन, दयाराम पुत्र छोटूराम जाति बिश्नोई सा॰ चिडिया वाली तह भादरा के नाम दर्ज रिकार्ड था जो जरिये विक्रय पत्र नामान्तरण सं॰ 3 न दि 8-12-12 उक्त रकबा राजेन्द्र पुत्र पानणराम जाति कुम्हार सा॰ गोदूवाला तह पीलीबंगा के नाम दर्ज हुआ है छोटूराम द्वारा वाद सं॰ 54/15 दर्ज करवा रखा है छोटूराम वर्तमान मे उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का हित यानि खातेदारी नही रखता है अतः छोटूराम उक्त भूमि का खातेदार न होने के भी सूरत में उक्त वाद 54/15 अन्तर्गत धारा 188 RTAct निरस्त किया जाना उचित है।

आदेश

लिहाजा वाद पत्र मे वादाधीन कृषि भूमि वादीगण न॰ 1 व 2 के नाम से दर्ज नही है। चूंकि वादीगण खातेदार कृषक नही है इसलिए वादीगण का वादप्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद पत्र पेश करने का अधिकार नही रखते है। अतः वाद वादीगण इसी स्टेज पर काबिले खारिज है। खारिज किया जाता है पत्रावली कार्यवाही मुकम्मल होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।